



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE
CHANGE

क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर/ Regional Office, Gandhinagar



ए वींग- 407 एवं 409, "अरण्य भवन", सी.एच.-3 सर्किल के समीप, सेक्टर-10ए, गांधीनगर-382010 / A wing- 407 & 409, "ARANYA BHAWAN", Near CH-3 Circle, Sector-10A, Gandhi Nagar-382010
Email: iro.gandhingr-mefcc@gov.in

दिनांक: 08th जनवरी, 2025

सेवा में,
शासन सचिव (वन)
सिविल सचिवालय, राजस्थान शासन
जयपुर, राजस्थान।

(ऑनलाईन क्रमांक FP/RJ/TRANS/50545/2020)

विषय: **Diversion of 6.54 ha of forest land in favour of Ajmer Vidyut Vitran Nigam Limited for creation of 33 KV line to new grid sub-station Jogniya Mata, Chittorgarh Territorial Division.**

संदर्भ: राज्य शासन, राजस्थान सरकार का पत्र क्रमांक प.1(91)वन/2024 दिनांक 27.11.2024.
महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार की वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी गयी थी। इस प्रस्ताव को वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अनुसार प्रोसेस किया जाना है और चूंकि प्रस्ताव 5.00 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि के डायवर्जन के लिए है, इसलिए पी.एस.सी. (PSC) की अनुशंसा आवश्यक है। अतः राज्य शासन से अनुरोध है कि इस प्रस्ताव को वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अनुसार प्रोसेस करें एवं पी.एस.सी. (PSC) की अनुशंसा के साथ इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करें।

2. इस संबंध में राज्य शासन से यह अनुरोध है कि उपरोक्त जानकारी को ऑनलाईन पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज सहित अपलोड करायें ताकि अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

भवदीय,


08/01/2025

(श्रवण कुमार वर्मा/Shrawan Kumar Verma)
क्षेत्रीय अधिकारी/Regional Officer (RO)

क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर/Regional Office, Gandhinagar.

प्रतिलिपि: (ई-मेल द्वारा)

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण), वन विभाग, अरण्य भवन, झालाना इंस्टिट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान।
2. उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़ वनमण्डल, चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. संबंधित यूजर एजेंसी।
4. आदेश पत्रावली।